67

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 46-तीन/2015 निंगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-11-2014- पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 426/2012-13 अपील

1- बालगोविन्द पिता रामगरीव
2- राधेश्याम पिता रामगरीव
3- महिला बेलसिया पत्नि कन्हैयालाल
निवासीगण ग्राम डगरा तहसील देवसर
4- संतकुमार 5- छोटेलाल 6- रामकिशोर
पिता कन्हैयालाल तीनों अवयस्क संरक्षक मॉ
महिला बेलसिया पत्नि कन्हैयालाल बैसवार
सभी ग्राम डगा तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- लालजी पिता रामविशाल लोहार
2- रामसनेही पिता रूपलाल लोहार
ग्राम डगा तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 10-07-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 426/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-11-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत **प्रस्तुत हुई है।**

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार देवसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मौजा डगा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2087 एंव 2246 के खसरा वर्ष 2006–07 में फर्जी हवाला के आधार पर अनावेदक का नाम दर्ज किया गया है मुताविक पूर्व अभिलेख के अनुसार अभिलेख अद्वतन किया जावे। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 41 अ–6–अ/11–12 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 12–1–12 पारित किया तथा म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 के अंतर्गत मौजा डगा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2087 एंव 2246 के खसरा में अनावेदकगण के नाम की दर्ज प्रविष्टि गलत पाकर अनावेदकगण के नाम कम करके आवेदकगण के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये। अनावेदकगण ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 30/12713 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15–1–13 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 426/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–11–14 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–11–14 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार देवसर ने आदेश दिनांक 12–1–12 में निष्कर्ष दिया है कि अनावेदकगण के नाम की वाद विचारित भूमि पर जिस प्रकरण का उल्लेख कर प्रविष्टि की गई है यह प्रकरण उपलब्ध नहीं है। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 11–12–14 में निष्कर्ष दिया है कि वर्ष 1958–59 की खतौनी अनुसार पक्षकारों के पूर्वजों का नाम दर्ज है। वर्ष 1983–84 से 87–88 तक उनका नाम दर्ज रहा है, परन्तु वर्ष 1988 के वाद बिना किसी आधार के

बालगोविन्द का नाम दर्ज हुआ। इस हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में दिया गया था, जिसमें प्रकरण क्रमांक 167 अ–27/06–07 में पंजीबद्ध कर पूर्ववत अपीलार्थी का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। उपरोक्त प्रकरण फर्जी नहीं था तथा न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को तलब करते, परन्तु बिना किसी आधार के प्रकरण न मिलने का आधार मानकर फर्जी प्रविष्टि करार देकर तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किये है। अपर आयुक्त ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि वर्ष 1958–59 से वादित भूमियां रामविशाल बल्द रामप्रसाद, रामसनेही बल्द रूपलाल लोहार के नाम दर्ज थी। जबकि बालगोविंद वगैरह ने भूमियां पटटे के आधार पर अपनी होना बताया है जबकि निजी भूमि का पटटा नहीं दिया जाता, बल्कि शासकीय भूमि का पटटा दिया जाता है। आवेदकगण व्दारा भूमि कब खरीदी या उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, इसका प्रमाण वह प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिसके कारण तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 115 की आड़ में गलत कार्यवाही की है। प्रकरण के अवलोकन से मामला आवेदकगण के वादोक्त भूमि पर स्वत्वांकन है एंव स्वत्व के मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है अपितु राजस्व न्यायालय केवल अभिलेख को अद्यतन रखने की कार्यवाही करता है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–11–14 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना केआधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 426/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–11–14 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर